न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 33/16 निर्णय दिनांकः– 13-11-2024
(जीसीएमएस संख्या 2016/00052)

1. हरीराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलकीसर बडा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. फूलाराम पुत्र श्री राउराम जाति सिद्ध निवासी मलकीसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 12–03–2016

उपस्थितः–

1. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 12–03–2016 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तरीके से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 15–01–2020 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी जोत तहसील लूणकरनसर के चक 11 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 202/15 के किला नम्बर 1 ता 10, 12 ता 15, 17 ता 19 में 17 बीघा व मुरब्बा नम्बर 202/23 के किला नम्बर 1, 10, 11 तादादी 3 बीघा कुल तादादी 20 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि में आवागमन की मांग अपीलांट् की खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 202/23 के किला नम्बर 21 व 22 में से 02–02 बिस्वा भूमि रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए की मंशा के विपरीत जाकर अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिन किलों में से रास्ते की मांग की गई थी, के विरूद्व मुरब्बा नम्बर 202/16 के किला नम्बर 5 के उत्तर दिशा एवं मुरब्बा नम्बर 202/15 के किला नम्बर 16 व 25 के पश्चिम दिशा में 02–02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मुरब्बा नम्बर 202/23 में से रास्ते की मांग किये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट् को उसके खेत के उपयोग व उपभोग से वंचित किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य को रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु पूर्व से ही अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्सेदराज से आवागमन करता आ रहा है उक्त रास्ता मौके पर काफी समय से चल रहा है। वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। क्योंकि किला नम्बर 21 व मुरब्बा नम्बर 202/15 के किला नम्बर 25 में राजस्थान सरकार द्वारा अनुमदानित पानी की डिग्गी बनी हुई है तथा उक्त खाले से आगे के खेतों पर पानी जाता है तथा इसी किलें के पूर्व में हाई वोल्टेज विद्युत लाईन गुजरती है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्र के माध्यम से किये गये रास्ते को किसी भी स्थिति में प्रदान नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि जिसमें से रास्ते की मांग की गई है, उक्त किलों में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। ऐसीस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांग के विपरीत जाकर व मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश जारी किया गया है। जोकि स्पष्ट रूप से धारा 251–ए की मंशा के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते हुए विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट व राज्य पक्ष का जवाब प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिस आराजी भूमि में से रास्ते की मांग की गई है, उक्त आराजी में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, के स्थान पर अन्य वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 11 एमकेडी के मुरब्बा नम्बर 202/16 के किला नम्बर 5 के उत्तर दिशा एवं मुरब्बा नम्बर 202/15 के किला नम्बर 16 व 25 के पश्चिम दिशा में से 02–02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए रास्ते की मांग किये जाने पर मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकार से तैयार किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त मौका रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम रास्ते के आज्ञापक नियम 69 की अवहेलना किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में निर्धारण योग्य अन्य बिन्दु यह भी है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए जिस भूमि में से

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ते की मांग की गई थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विपरीत जाकर अन्य भूमि में से रास्ता कायत किया गया है। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न राज्य पक्ष का जवाब एवं मौके की रिपोर्ट/नजरी नक्शें का अवलोकन किया। प्रकरण में मौके की रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 में यह अभिलिखित किया गया है कि " प्रार्थी के चिपते मुरब्बा नम्बर 202/24 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में रास्ता स्वीकृतशुदा है। जो मुरब्बा नम्बर 202/23 में बन्द हो जाता है। अन्य रास्ता मुरब्बा नम्बर 202/7 व 202/8 में है, जो प्रार्थी के खेत से एक मुरब्बा दूरी पर है। मुरब्बा नम्बर 202/24 के किला नम्बर 1 में खाले पर पुलिया बनी हुई है, परन्तु आगे अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 202/15 के किला नम्बर 25 व मुरब्बा नम्बर 202/23 के किला नम्बर 21 में पानी की डिग्गी बनी हुई है। मुरब्बा नम्बर 202/23 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से विद्युत की बड़ी लाईन निकली हुई है। प्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 202/16 के किला नम्बर 5 व मुरब्बा नम्बर 202/15 के किला नम्बर 16 वा 25 में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। प्रकरण में चूंकि मौके की रिपोर्ट के अनुसरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जिस भूमि में से रास्ते की मांग की गई थी उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृत नही करते हुए अन्य भूमि में से रास्ता कायम किया गया है तथा उक्त रास्ता कायम करते हुए अपीलांट् की सहमति का अंकन किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए नियमानुसार प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् की सहमति के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से अपीलांट् के विधिक अधिकारों का हनन की श्रेणी में आता है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम नियत 69 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है व वहीं दूसरी तरफ अपीलांट् की सहमति अंकित करते हुए आक्षेपित आदेश प्रदान किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12–03–2016 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में नियम 69 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 13-11-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर